हरियाणा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित करवाई जा रही विभिन्न युवा कल्याणकारी गतिविधियाँ

वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य के अलग से अस्तित्व में आते ही खेल गतिविधियों के साथ विभाग द्वारा अन्य युवा कल्याणकारी गतिविधियों की ओर भी विशेष ध्यान देना प्रारम्भ किया ताकि राज्य के युवाओं विशेषकर 15-35 युवा वर्ग के युवाओं में निहित् शक्ति को सही दिशा प्रदान कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रमुख धारा में लाया जा सके । इसी लक्ष्य के दृष्टिगत विभाग द्वारा युवा सांस्कृतिक संयोजकों की नियुक्ति की गई जिसे राज्य के प्रत्येक ज़िला में युवा कल्याणकारी गतिविधियों का क्रियान्वयन भली-भाँति हो सके और युवाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो । युवा गतिविधियों के क्षेत्र में वर्ष 1996 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब भारत सरकार की पहल पर लगभग प्रत्येक गाँव में युवा क्लब स्थापित एवं पंजीकृत करवाये गए ताकि अधिक से अधिक युवा बहुउद्उदेशीय गतिविधियों में शामिल हो कर नई चेतना से लाभान्वित हो और सीमित जीवन स्तर से ऊपर उठ कर सर्वांगीण विकास के सोपान पर कदम रखें । इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हरियाणा खेल एवं युवा कल्याण विभाग राज्य में स्थापित युवा क्लबों के सदस्यों को विभाग द्वारा संचालित युवा गतिविधियों में प्रतिभागिता हेतु प्रेरित करता है जिससे वे राष्ट्र की विविध संस्कृति से भिज्ञ हो सकें और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के अस्तित्व को बनाये रखने में अपना पूर्ण योगदान दे सकें । विभिन्न युवा गतिविधियों के आयोजनों में युवाओं की प्रतिभागिता पर होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन विभाग द्वारा किया जाता है जिसका प्रावधान विभागीय युवा योजनाओं नेहरू युवा केन्द्र, चेतना संघ, एडवैंचर स्पोर्ट्स तथा यूथ क्लब योजनाओं में करवाया जाता है ।

क. सांस्कृतिक गतिविधियाँ

1. सांस्कृतिक प्रशिक्षण

विभाग में कार्यरत् युवा सांस्कृतिक संयोजकों द्वारा प्रत्येक ज़िला में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों पर नृत्य, नाटक और संगीत में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और सघन प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है जिन में अधिक से अधिक युवा/युवतियों को शामिल किया जाता है । इन प्रशिक्षण कार्यों में हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर पर विशेष बल दिया जाता है ।

2. राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यशाला

इस कार्यशाला में युवा क्लबों के लगभग 100 युवाओं को आमिंत्रत किया जाता है और उन्हें 5 से 7 दिनों की अवधि के दौरान नृत्य, नाटक और संगीत विधाओं में थियोरिटिकल एवं प्रैक्टिकल प्रशिक्षण राज्य में कार्यरत् युवा संयोजकों द्वारा दिया जाता है । कार्यशाला के दौरान तैयार किए गए नृत्य, नाटक और संगीत के आईटमों की प्रस्तुति कार्यशाला के समापन पर युवाओं द्वारा करवाई जाती है ।

3. अंतर्राज्जीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवा क्लबों के सदस्यों को दूसरे प्रदेशों की संस्कृति जानने और हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए देश के अलग अलग प्रदेशों में भेजा जाता है । कुल्लू दशहरा में हिमाचल प्रदेश सरकार के निमन्त्रण पर हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभाग द्वारा प्रतिवर्ष हरियाणवी नृत्य तथा रागनी का एक सांस्कृतिक दल भेजा जाता है । राज्य के युवा क्लबों के सदस्यों को अब तक राजस्थान, गुजरात,गोवा,कर्नाटक,केरल,

उत्तर प्रदेश, हिसार, नेपाल, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेशों में आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत भेजा जा चुका है । हरियाणा राज्य में भी राष्ट्रीय एकता शिविरों तथा लोक नृत्यों एवं लोक गीतों की प्रदर्शनी के आयोजनों में देश के विभिन्न राज्यों से युवाओं को बुलाया गया है ।

4. **<u>ज़िला स्तरीय युवा उत्सव</u>**

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार देश की विविधमयी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण बनाये रखने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, लोक गीत, नाटक, शास्त्रीय गायन, वादन, शास्त्रीय नृत्य तथा प्रदेश विशेष की विलक्ष्ण सांस्कृतिक झलक आदि विधाओं में ज़िलों के सभी ब्लों से आये क्लबों के प्रतिभागी ज़िलास्तर पर आयोजित स्पर्धाओं में भाग लेते हैं । इन स्पर्धाओं का आयोजन दो दिनों तक चलता है ।

5. **<u>राज्यस्तरीय युवा उत्सव</u>**

विभिन्न सांस्कृति स्पर्धाओं में विज्यी टीमें जो ज़िला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं उन्हें राज्य स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में शामिल किया जाता है । इसमें लगभग 700-800 प्रतिभागी युवा भाग लेते हैं जो 15-35 वर्ष आयु वर्ग के होते है। सभी विधाओं के निर्णायक मण्डल में विधा से संबंधित विशेषज्ञों को रखा जाता है । भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 4 मिनट के तात्कालिक भाषण (एक्सटैम्पोर) सहित 19 सांस्कृतिक आईटमों को स्पर्धा वर्ग में रखा जाता है । प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों/व्यक्तिगत को पुरस्कार प्रदान किये जाते है परन्तु राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतियोगी के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को ही भेजा जाता है । राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन तीन दिनों की अवधि का होता है । भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 1995 से प्रारम्भ किए गए राज्य युवा उत्सव का आयोजन हरियाणा में फरीदाबाद, हिसार, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, पंचकूला, रोहतक और नारनौल में किया गया है ।

6. **<u>राष्ट्रीय युवा उत्सव</u>**

भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में देश के लगभग सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सभी सांस्कृतिक स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए लगभग 3000 युवक-युवतियाँ भाग लेते हैं । हरियाणा राज्य के प्रतिवर्ष 75-80 युवा-युवतियों का दल इस में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करता है । विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को इस राष्ट्रीय युवा उत्सव में भेजा जाता है । यह राष्ट्रीय युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी से 16 जनवरी तक देश के बड़े शहरों में आयोजित किया जाता है । वर्ष 1995 से आज तक यह राष्ट्रीय युवा उत्सव भोपाल,कोलकाता, लखनऊ, चैनैई, अहमदाबाद,हिसार,त्रिवेन्द्रम,जमशेदपुर और हैदराबाद में 10 बार आयोजित किया जा चुका है । 10 बार आयोजित किए गए इन राष्ट्रीय युवा उत्सव में विभाग द्वारा भेजे गए सांस्कृतिक दल ने हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन, बाँसूरी वादन, हरमोनियम वादन, हरियाणवी लोक नृत्य, हरियाणावी लोकगीत (रागनी) ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, तबला वादन, वीणा वादन, सितार वादन तथा नाटक (एकांकी) स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं । हरियाणा के युवाओं द्वारा प्रस्तुत हरियाणवी नृत्य, रागनी तथा एकांकी दर्शकों को बहुत आकर्षित करता है ।

हरियाणा राज्य के युवा राष्ट्रीय युवा उत्सव के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त करने में भी अन्य बड़े राज्यों की तुलना में किसी से पीछे नहीं है । सामाजिक क्षेत्र में बहुउद्देशीय कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के दृष्टिगत युवाओं को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है । राज्य के सक्रिय युवा क्लबों को युवाओं के नामांकन विभाग द्वारा चयन करके प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजे जाते हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धियों के आधार पर चयन करके 12 जनवरी- महान समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणा-स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को देश के प्रधान मंत्री अथवा अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करके सम्मनित किया जाता है । पूरे देश में अधिक से अधिक 25 युवाओं को यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है । विभाग द्वारा चयन करके भेजे गए युवाओं में से अब तक कुल 23 युवाओं ने इस पुरस्कार को प्राप्त करके राज्य में स्वयम् सेवा भाव से किए गए उत्कृष्ट सामाजिक कार्य की ओर समूचे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया है और हरियाणा राज्य के नाम को उज्जवल किया है । इनमें दो युवाओं को मरणोपरांत इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मनित किया गया जिन्होंने डबवाली (सिरसा) अग्निकाण्ड में अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेक लोगों की जानें बचाई थी ।

ख. सामाजिक गतिविधियाँ

1. निपथ यात्रा (ट्रैकिंग) प्रशिक्षण के लिए युवा क्लबों के युवक -युवतियों को प्रतिवर्ष मकलौड़गंज (धर्मशाला)/नारकण्डा (हिमाचल प्रदेश) में स्थित साहसिक केन्द्रों में 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों में भेजा जाता है । इनके लिए प्रशिक्षण फीस, आने-जाने का बस किराया तथा दैनिक यात्रा -भत्ता आदि पर खर्च होने वाले खर्च का वहन विभाग द्वारा किया जाता है ।

2. साहसिक प्रशिक्षण शिविर

5 से ले कर 8 दिनों की अवधि तक इन शिविरों में राज्य के सभी ज़िलों के युवा क्लबों के चुने गए युवक/युवतियों को प्रतिभागिता हेतु बुलाया जाता है । यह प्रशिक्षण शिविर मनाली, मोरनी हिल्स, दमदमा, गुड़गाँव में आयोजित किए जाते हैं । इन प्रशिक्षण शिविरों में युवा/युवतियों को राक क्लाईमिंग, रेपलिंग, ट्रैकिंग, स्नो ट्रैकिंग, ग्लेशियर वाक, कैम्प क्राफट्, साईकलिंग तथा बोटिंग आदि साहसिक गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाता है । इनके आयोजन में राज्य के पर्यटन निगम के प्रशिक्षित अनुदेशकों की मदद ली जाती है । आयोजनों का पूरा खर्च खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जाता है ।

3. रिवर राफटिंग

राज्य के ज़िलों के युवा क्लबों के युवा/युवतियों हेतु यमुना नदी में पौंटासाहिब (हिमाचल प्रदेश) के नजदीक से कलेसर तक यमुनानगर ज़िला में रिवर राफटिंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। राफट् तथा प्रशिक्षक राज्य के पर्यटन निगम से उपलब्ध कराये जाते हैं । 3-4 दिनों के इस कार्यक्रम का पूरा खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाता है ।

4. **पैरा सेलिंग एवं ग्लाईडिंग कार्यक्रम**

थल और जल की साहसिक गतिविधियों के अतिरिक्त राज्य के युवा क्लबों के युवा/युवतियों के लिए आकाशीय (एयर) साहसिक गतिविधियों का आयोजन भी विभाग द्वारा किया जाता है । पंचकूला तथा हिसार ज़िला में स्थित हिसार सिविल एवियेशन क्लबों में लगभग 200-300 युवक-युवतियों को प्रतिवर्ष पैरा सेलिंग/ग्लाईडिंग के लिए 3-4 दिनों की अल्प अवधि हेतु थियोरिटिकल तथा प्रैक्टिकाल जानकारी दिलाई जाती है । आयोजन का पूरा खर्च विभाग द्वारा किया जाता है ।

5. **नेशनल एडवैंचर फैस्टीवल**

नेशनल एडवैंचर क्लब द्वारा चंडीगढ़ में फरवरी मास में लगभग 8 दिनों की अवधि के लिए आयोजित इस फैस्टिवल में विभाग द्वारा युवा क्लबों के युवक-युवतियों को भेजा जाता है । इसमें जल, थल और वायु की विभिन्न साहसिक गतिविधियों को विभिन्न स्थानों में आयोजित करवाया जाता है । इसमें शामिल होने वाले राज्य के युवाओं को चंडीगढ़ आने तथा वापसी का किराया विभाग द्वारा दिया जाता है ।

6. **बेसिक वाटर एडवैंचर कोर्स**

इसके लिए युवक/युवतियों को पौंगडेम (हिमाचल प्रदेश) में भेजा जाता है ।

ग- सामाजिक,व्यवसायिक और अन्य युवा गतिविधियाँ

1. **युवा क्लबों के प्रतिनिधियों की बैठकें**

वित्तिय वर्ष में दो बार सभी ज़िलों में वहाँ के युवा क्लबों के प्रधान/सचिवों /प्रतिनिधियों की बैठकें ज़िला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय में आयोजित की जाती हैं । इन बैठकों में पुन: विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी जाती है और इनमें शामिल होने तथा इनसे लाभान्वित होने बारे भी बताया जाता है । भारत सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रस्ताव विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भेजने बारे भी उन्हें अवगत करवाया जाता है ।

2. **एड्स तथा नशीले पदार्थों/दवाईयों के दुष्प्रभाव पर सैमीनार**

राज्य के युवा क्लबों के युवाओं को एड्स तथा नशीली दवाईयों के दुष्प्रभाव की जानकारी देने तथा बचाव के लिए प्रतिवर्ष राज्य/ज़िला स्तर/ब्लाक स्तर पर सैमीनार आयोजित की जाती है । 2-3 दिनों की इन सैमीनारों में राज्य एड्स कन्ट्रोल विभाग, ज़िला सरकारी अस्पताल, रैडक्रास तथा विभिन्न सेवी संस्थाओं के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है । इन आयोजनों का पूरा खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाता है ।

3. **युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर**

राज्य के युवा क्लबों की युवाओं में नेतृत्व की भावना जागृत करने के लिए विभाग द्वारा समस्त ज़िला मुख्यालय पर युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है । पहले राज्य के युवाओं को इसके लिए साक्षरता सदन लखनऊ में भेजा जाता था । परन्तु अब प्रत्येक ज़िला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है जो युवाओं के नैतिक मूल्यों के साथ साथ उन्हं ईंधन, जल, बिजली, ऊर्जा और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें इन क्षेत्रों में अन्य युवाओं के लिए नेतृत्व प्रदान करने के लिए सही दिशा प्रदान करते हैं ।

4. अंतर्राष्ट्रीय स्वयम् सेवा दिवस

राज्य में स्थापित सभी युवा क्लबों के सदस्यों द्वारा सँयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 5 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयम् सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है । इस दिन युवा स्वयम् सेवा भाव से गरीबों, असहाय और अस्पतालों में जा कर मरीजों की नि:स्वार्थभाव से सेवा करते हैं और शान्ति जलूस तथा सफाई आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

5. कार्यशिविर

श्रम की महता पर बल देते हुए ग्रामीण युवा क्लबों में कार्य शिविरों का आयोजन किया जाता है । प्रत्येक ज़िला के 2-3 गाँव में चिन्हित प्रौजेक्ट चुन कर उस गाँव तथा आसपास के क्लबों के श्रमदान द्वारा टूटी- फूटी, कच्ची/पक्की सड़कों की मुरम्मत , किसी सार्वजनिक स्थान, पंचायत भवन/चौपाल आदि की मुरम्मत,गाँव के पुराने तालाब/कुओं की सफाई/मुरम्मत, गाँव के स्कूल/अस्पताल में श्रमदान आदि के कार्य किए जाते हैं । इन कार्यों में युवाओं के प्रोत्साहन हेतु गाँव पंचायत का सहयोग अनिवार्य है । विभाग इनके आयोजन का खर्च वहन करता है ।

6. युवा दिवस/युवा सप्ताह

युवाओं के आदर्श एवं समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 जनवरी से ले कर 19 जनवरी तक युवा दिवस/ युवा सप्ताह का आयोजन विभाग द्वारा ज़िला स्तर पर तथा प्रत्येक ज़िला के 8-8 ग्रामीण युवा क्लबों में किया जाता है । प्रत्येक दिन को अलग अलग युवा क्लबों में अलग युवा गतिविधियों को बांटा जाता है । पहले दिन स्वामी जी का जीवन दर्शन तथा युवा वर्ग को उनकी शिक्षायें ृस, दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, तीसरे दिन प्रतिभागिता दिवस, चौथे दिन सामाजिक सेवा, पाँचवे दिन स्वास्थ्य दिवस,छठे दिन शांति दिवस, सातवें दिन कौशल विकास दिवस तथा आठवें दिन को जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है । युवा दिवस/सप्ताह के कार्यक्रमों में युवा क्लबों के लगभग 25-30 हजार युवा भाग लेते हैं । इस आयोजन को करवाने में पूरा खर्च विभाग द्वारा किया जाता है ।

7. वन महोत्सव

प्रकृति के संतुलन को बनाये रखने और पर्यावरण को प्रदूषण से बनाये रखने के लिए युवा क्लबों के युवाओं द्वारा वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है । वृक्षों की पौध सरकारी स्रोतों से उपलब कराई जाती है और वृक्षारोपरण का कार्य किया जाता है । यह वृक्षारोपण दो दिनों के अवधि के लिये स्टेडियम/खेल मैदानों जगहों में ज़िला स्तर पर विभाग के दिशा-निर्देशानुसार किया जाता है । इस पर आने वाला खर्चा विभाग द्वारा वहन किया जाता है ।

8. **हरियाणा वीर शहीदी दिवस**

हरियाणा के वीरों तथा शहीदों की स्मृति में 23 सितम्बर को सभी ज़िलों में हरियाणा वीर तथा शहीदी दिवस का आयोजन किया जाता है । इस अवसर पर ज़िले के पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता

सेनानियों तथा अन्य विशिष्ठ व्यक्तियों को आमन्त्रित किया जाता है और उनके प्रेरक भाषणों से युवा वर्ग में उत्साह का प्रस्फुटन किया जाता है । युवाओं द्वारा देशभक्ति तथा देश प्रेम के गीत गाये जाते हैं । पूरा खर्च विभाग द्वारा किया जाता है ।

9. <u>युवा क्लबों में सिलाई केन्द्रों की स्थापना</u>

युवा क्लबों की युवतियों को सिलाई -कटाई तथा कढ़ाई में अल्पावधि (4-6 मास का) व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिलाया जाता है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोज़गार, शिक्षित युवतियों को अपनी जीविका चलाने में मदद मिलती है । प्रशिक्षण अवधि के लिए सिलाई मशीने विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं और अवधि समाप्त होने पर मशीनों को वापिस ले लिया जाता है । युवतियों को सिलाई सिखाने के लिए योग्य बेरोज़गार महिलाओं को अनुदेशक (इन्स्ट्रक्टर) के रूप में अस्थाई रूप से अनुबन्धित किया जाता है जिन्हें मानदेय के रूप में 500/- रूपये प्रतिमास दिया जाता है । इन सिलाई केन्द्रों से प्रतिवर्ष राज्य के लगभग 1500-2000 युवतियाँ लाभन्वित होती हैं । राज्य के सभी 19 ज़िलों में अस्थाई रूप से अनुबन्धित की गई सिलाई अनुदेशकों को दिए जाने वाले मानदेय का खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाता है ।

10. **<u>पशुपालन,मधुमक्खी पालन तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण पर प्रशिक्षण शिविर</u>**

राज्य के युवा क्लबों के युवाओं तथा युवतियों के लिए प्रति वर्ष देश में प्रतिष्ठित एन.डी.आर.आई.,करनाल (राष्ट्रीय डेरी विकास एवं अनुसन्धान संस्थान) तथा हिसार कृषि विश्वविघालय में पशुपालन तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा मधुमक्खी पालन के शिविर आयोजित किए जाते हैं जिनके किसान वर्ग के ग्रामीण युवा इनसे काफी लाभान्वित होते हैं । इससे युवक/युवतियों को आधुनिकतम जानकारी प्राप्त होती है । आयोजन का खर्च विभाग द्वारा किया जाता है ।

11. <u>मशरूम (खुम्बी) खेती प्रशिक्षण शिविर</u>

युवाओं में मशरूम खेती में और रूचि पैदा करने और उसे व्यवसायिक रूप में अपना कर पैसा कमाने के लिए राज्य के प्रत्येक ज़िले के युवा क्लबों के विशेषकर कृषक वर्ग के युवाओं को 5-6 दिन की अवधि के मशरूम खेती प्रशिक्षण शिविरों में भेजा जाता है । गत वर्ष से पूर्व युवाओं को सोलन (हिमाचल प्रदेश) स्थित डा.परमार कृषि विश्वविद्यालय में भेजा जाता रहा है । परन्तु अब राज्य के युवाओं को मुरथल के निकट सोनीपत में स्थित खुम्बी खेती संस्थान में भेजना प्रारम्भ कर दिया गया है । यहॉ पर आधुनिकतम पद्धति से खुम्ब खेती में प्रशिक्षण दिया जाता है और युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान जलपान आदि की व्यवस्था भी संस्थान द्वारा जुटाई जाती है । बाकी युवाओं के आने-जाने का किराया, भोजन तथा आवास आदि पर होने वाले खर्च का वहन विभाग द्वारा किया जाता है ।

12. <u>हरित हरियाणा अभियान</u>

यथा नाम तथा काम को यथार्थ रूप देने के लिए हरियाणा सरकार के इस हरित हरियाणा अभियान के अंतर्गत एक लक्ष्य निर्धारित करके पौधारोपण का कार्य किया जाता है जो समय के अंतराल के साथ साथ वृक्ष रूप में विकसित हो कर प्रकृति के हरित रूप में अपने को आत्मसात् कर लेते हैं । विभाग के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा युवा/युवति, क्लबों के सदस्य, ग्राम पंचायतों एवं वन/वानिकी विभागों के सहयोग से तत्परता से पौधारोपण का कार्य करते

हैं । राज्य सरकार के सभी विभागों/बोर्ड/निगमों आदि को पौधारोपण का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । वह दिन दूर नहीं जब समूचे राज्य में लहराते हर-भरे वृक्ष प्रकृति माँ का सानिध्य प्रदान करते हुए हरियाणा को अपनी गोद में समेट लेंगे और पुत्रवत् हरियाणावासियों को सौन्दर्य-पान करवाते हुए पर्यावरण का स्वच्छ और सुन्दर रखेंगे और प्रदूषणरूपी राक्षस से रखा करेंगे एवं समय समय पर फल-फूल, ईंधन, औषधि तथा विभिन्न उपयोगों हेतु लकड़ी भी उपलब्ध करायेंगे ।

13. <u>तरूण त्रिवेणी वन स्कीम</u>

राज्य सरकार की इस योजना को सफल बनाने के लिए एक भावनात्मक विकल्प को अपनाया गया है । नवजात शिशु के जन्मोत्सव पर कम से कम एक वृक्ष, विवाहोत्सव पर दो वृक्ष पर और किसी बुजुर्ग आदि के स्वर्गवास पर कम से कम 3 वृक्षों के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है । इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत दो से चार एकड़ भूमि उपलब्ध करायेगी । जहाँ तक जीवन के इन तीन प्रमुख अवसरों पर वृक्षों के पौधे लगाये जाने की प्रक्रिया चलती रहेगी । प्रथम चरण में ऐसी 1000 ग्राम पंचायतों को चुना गया है । ये क्लबों के सदस्य ग्राम पंचायतों के सहयोग से इस योजना को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभायेंगे । इसके लिए युवा क्लबों के लिए ग्राम-पंचायत की चिन्हित यह शामलात भूमि आवंटित करने का प्रावधान रखा गया है । इस संबंध में विभाग द्वारा ज़िला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी तथा राज्य के नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से स्थापित किये गये युवा क्लबों के युवाओं की अहम भूमिका होगी ।

14. <u>यूथ होस्टल</u>

युवाओं के भ्रमण के दौरान सस्ती आवास व्यवस्था तथा भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में पंचकूला,पिपली (कुरूक्षेत्र), भिवानी तथा गुड़गाँव में यूथ होस्टल स्थापित किए गए हैं । इन के लिए 1.5 एकड़ से 2 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती है और इस भूमि पर यूथ होस्टल का निर्माण भारत सरकार द्वारा करवाया जाता है । इनकी देख रेख के लिए वार्डन /सहायक वार्डन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है । हरियाणा राज्य में यमुनानगर, रिवाड़ी तथा सिरसा में यूथ होस्टलों के निर्माण बारे कार्यवाही अग्रसर है और यमुनानगर तथा सिरसा में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है ।

<u>राज्य के युवाओं को इन्सैन्टिवज्</u>

1. ज़िला तथा राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ युवा कल्याणकारी गतिविधियों की उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक ज़िला स्तर पर प्रति युवा /युवा क्लबों को क्रमश: 3000/- तथा 5000/- रूपये की दर से एक -एक चयनित युवा तथा युवा क्लब को इन्सैन्टिवज् के रूप में प्रदान किया जाता है । राज्य स्तर पर 5 सर्वश्रेष्ठ चयनित युवाओं को 5000-5000/- रूपये तथा एक सर्वश्रेष्ठ युवा क्लब को 20000/- रूपये का इन्सैन्टिवज् दिया जाता है ।
2. राष्ट्रीय युवा उत्सव में सांस्कृतिक स्पर्धाओं में प्रथम,द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आर्टिस्ट युवाओं को क्रमश: 8000/-, 6000/- और 4000/-रूपये की दर से इन्सैन्टिवज् दिए जाते हैं ।
3. राज्य के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उनकी 50 वर्ष की आयु तक हरियाणा परिवहन की बसों में नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है ।